

R.B  
4-7-16

R.B  
10/7/18

Request-118

संख्या: जे0टी0आई0आई0/अधि0-1462

SP. 2883  
6/6/18 प्रेषक

अनिल कुमार ओझा  
निदेशक,  
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Reg No 12989  
File No IV-2215  
Serial No 228

Binao 4-9-18  
Binao 29-8-18  
10-8-18  
13-8-18

वा में,

महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

दिनांक: 04 जून, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 का सम्पत्ति विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर निवेदन है कि मैं अपना वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 का सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि मेरा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 का सम्पत्ति विवरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा

करें।

सादर

भवदीय,

Anil K. O. 04-6-18  
(अनिल कुमार ओझा)  
निदेशक

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

DRM  
Laxmi  
S. K. Mishra

22 AUG 2018

P. S. B. R. O.  
W. E. J.  
(02-08-18)

51  
3 JUN 2017

Mr Ashad  
05-9-18

Reg (C) (B)

Lu.  
RG  
31/8/18

DRUM

D.R. (R.R.) Admei  
S.O. Admei, A-14

RA  
6/8/2018

गोपनीय  
Reg (C) (B)

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 तक अर्जित की गई चल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण

Page No. - 118

अधिकारी का नाम पद व राजकीय सेवा में आने का दिनांक	परिवार के सदस्यों के नाम तथा आय	परिवार में कमाने वाले सदस्यों के नाम एवं व्यवसाय तथा माहवार वार्षिक आय	10,000/- रुपये से अधिक कीमत की सम्पत्ति का विवरण, मूल्य, कय का वर्ष, धन का स्रोत तथा भेजी गयी सूचना का विवरण	बैंक/डाक घर में खाता का विवरण, शेष धनराशि के स्रोत का विवरण	पी0पी0एफ0, एफ0डी0आर0, एन0एस0सी0, के0वी0पी0 और शेयर्स यूनिट्स और अन्य जमा धनराशि का ब्यौरा, खाते का नम्बर तथा तिथि और कीमत व धन के स्रोत का विवरण	ऋण अग्रिम का विवरण, धनराशि किशतों की संख्या व बैंक का नाम आदि सहित	वेतन तथा अन्य आय का विवरण, कटौती विवरण सहित	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनिल कुमार ओझा, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 01.08.1986	श्रीमती शीला ओझा, पत्नी, आयु 54 वर्ष	कोई नहीं	1. एल0एम0वी0 कार सैण्ट्रो एक्स0एल0ई0-3, संख्या-यू0पी0- 80, ए वाई- 7585 मॉडल 2007, दिनांक 20-8-2007 को खरीदी गयी। मूल्य रु0 3,49,000/- (रु0 तीन लाख उन्चास हजार मात्र) इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 07-11-2007 को प्रेषित की जा चुकी है। 2. एक कम्प्यूटर मय यू0पी0एस0 कीमत रु0 27,000/- (रु0 सत्ताइस हजार मात्र) दिनांक 12-2-2007 को खरीदा। इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 6-6-2007 को प्रेषित की जा	1. संयुक्त खाता संख्या-8986 श्रीमती शीला ओझा एवं अनिल कुमार ओझा, सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया, रानीगंज, प्रतापगढ़, प्रारम्भ दिनांक 19-10-91 से, धनराशि रु0 5048/- (रु0 पाँच हजार अडतालिस मात्र) नोट- इस खाते में विगत कई वर्षों से न तो कोई धनराशि जमा की गयी है और न निकाली गयी है। 2. बचत खाता संख्या- 30495611047 अनिल कुमार ओझा व श्रीमती शीला ओझा के नाम संयुक्त खाता, एस.बी.आई. कैन्ट मथुरा, खाता प्रारम्भ होने की तिथि 18-9-2008, दिनांक 31-3-2018 को शेष धनराशि का अंकन 1420492.00 (रु0 चौदह लाख बीस	1. इन्फा0 बाण्ड पावर फाइनेन्स कारपोरेशन बाण्ड संख्या-000079703 से 000079706 प्रत्येक पाँच हजार रुपये का कुल रु0 20,000 (रु0 बीस हजार मात्र) स्रोत-वेतन। 2. एस.बी.आई. लाइफ स्मार्ट परफारमर पालिसी सं0-440479008307 मूल्य रु0 5.00 लाख दिनांक 27-11-2012 को कय किया। परिपक्वता तिथि 31.08.2021 है। उक्त पालिसी का वार्षिक प्रीमियम रु0 50,000/- (रु0 पचास हजार मात्र) है। वर्ष 2014-15 व 2015-16 में रु0 50,000.00 प्रति वर्ष की दर से कुल 1,00,000/- जमा किया। त्रुटिवश उक्त सूचना वर्ष 2014-15 व 2015-16 के सम्पत्ति के विवरण में अंकित नहीं किया जा सका। वर्ष 2016-17 में रु0 50,000.00 वार्षिक प्रीमियम अदा किया गया है। प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया जा	भवन निर्माण हेतु एस. बी.आई. गोरखपुर से 10,00000/- (रु0 दस लाख मात्र) ऋण दिनांक 25-2-2009 को लिया/मासिक किशत रु0 12,803/- (रु0 बारह हजार आठ सौ तीन)। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 1,34,541.00 (रु0 एक लाख चौतिस हजार पाँच सौ इकतालिस मात्र) का भुगतान किया गया। उक्त ऋण की अन्तिम किशत की कटौती माह फरवरी, 2017 में हुई है। सम्पूर्ण ऋण का भुगतान किया जा चुका है। स्रोत वेतन।	वेतन से वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 4485127.00 (रु0 चौवालिस लाख सत्तासी हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) कटौतियाँ- जीपीएफ-768364.00 (रु0 सात लाख अडसठ हजार तीन सौ चौसठ मात्र) जीआईएस- 9600.00 (रु0 नौ हजार छः सौ मात्र) आयकर- 827618.00 (रु0 आठ लाख सत्ताईस हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) शासकीय वाहन हेतु कटौती- रु0 10304.00 (रु0 दस हजार तीन सौ चार मात्र) कुल कटौतियाँ- रु0 1606886.00 (रु0 सोलह लाख छः हजार आठ सौ छियासी मात्र)	इस विवरण में दी गयी सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। पूर्व के सभी निवेशों की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जा चुकी है।

2

चुकी है।

3. एक एक्टिवा स्कूटर संख्या- यू0पी0-80 एएस-2925 कीमत रू0 36, 890/- (रू0 छत्तीस हजार आठ सौ नब्बे) में अपने पुत्र श्री आशुतोष ओझा के नाम दिनोंक 04-06-2006 को खरीदा। इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिनोंक 05-09-2006 को प्रेषित की जा चुकी है।

4. एक एल0एम0वी0 कार स्विफ्ट डिजायर एल.डी.आई. सं0-यू0पी0-85 ए.जे.-3161 अपने पुत्र आशुतोष ओझा के नाम माह मार्च, 2013 में खरीदा, इसकी सूचना मा0 उच्च न्यायालय दिनोंक 27-08-2013 को प्रेषित की जा चुकी है।

हजार चार सौ बानवे) शेष थे। धनराशि का स्रोत-वेतन।

चुका है। परिपक्वता की तिथि 31-8-2021 को है।

Anil Kr. Ojha  
 (Anil Kumar Ojha)  
 Director  
 18  
 निदेशक  
 Judicial Training & Research Institute  
 Uttar Pradesh, Lucknow

उत्तर प्रदेश कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1956 के नियम 24 (3) सपठित नियमावली (व्यवहार) 1956 के नियम 425 के अनुपालन में वांछित सूचनार्थ

नाम	नियुक्ति और जिला	ग्राम/परगना और जिला	क्षेत्रफल एकड़ में	निर्धारित राजस्व/वास्तविक मूल्य	क्या अर्जित की अथवा अलग की	किस प्रकार अर्जित किया अथवा अलग की	किससे अर्जित किया अथवा अलग किया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनिल कुमार ओझा	निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	गोमती नगर फेस-2, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	288 वर्ग मीटर	रु० 8,19,436.00	अर्जित किया	कय किया	लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

मैं अनिल कुमार ओझा, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रमाणित करता हूँ कि मैंने वित्तीय वर्ष 2016-17 व वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई भी अचल सम्पत्ति न तो अर्जित किया गया है और न ही अलग किया है। उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण अभी अपूर्ण है।

Anil K. Ojha  
(अनिल कुमार ओझा)  
निदेशक  
04-06-18

(Anil Kumar Ojha)  
Director  
Judicial Training & Research Institute  
Uttar Pradesh, Lucknow

31.8.18

Request-118  
Reg No 325-  
File No IV-2215  
Ser No 227  
2.8.18 3.8.18  
Bindu  
29.8.18

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या:सा0-847/सात-न्याय-1-18-43(प्र)/1999

लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख को अंकित तिथि से उनके अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	15 प्रतिशत की दर से अनुमन्य प्रशिक्षण भत्ता की तिथि
1-	श्री अनिल कुमार ओझा, निदेशक	दिनांक 11-10-2017
2-	श्री अनूप कुमार गोयल, अपर निदेशक,	दिनांक 6-11-2017
3-	श्री राम नगीना यादव, अपर निदेशक, प्रशिक्षण	दिनांक 9-5-18
4-	श्री राजीव महेश्वर, अपर निदेशक, प्रशासन	दिनांक 25-4-18
5-	श्रीमती नीलांजना, उप निदेशक,	दिनांक 25-4-18

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारी यह प्रशिक्षण 06 माह के अन्दर डी0टी0एस0/डी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के बाद विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3- उक्त प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी लखनऊ अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होगा।

4- उक्त आदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-24/8-76-का0-प्र0स0को0/1999, दिनांक 12-5-1999, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21-8-1999 एवं सम-संख्यक शासनादेश दिनांक 23-12-02 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

DR(M)

D.R.(R.R) Admn  
S.O. Admn, H/A  
R.R  
25/7/2018  
DR

डा0 राजेश सिंह  
विशेष सचिव।

Ms. Pranti sm.uo  
30.08.18

Reg (US)  
23/8/18

998

2490  
05-07-18  
Total page (C)  
26/08/18

220

10 JJA

54  
Reg (US)  
(R.R)

1359

संख्या: सा0-847(1)/सात-न्याय-1-18-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ।
- 4- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ क्रोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक, कोषागार, कैम्प कार्यालय, प्रथम तल, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 7- श्री अनिल कुमार ओझा, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- श्री अनूप कुमार गोयल, अपर निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- श्री राम नगीना यादव, अपर निदेशक (प्रशिक्षण), न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- श्री राजीव महेश्वर अपर निदेशक (प्रशासन), न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- श्रीमती नीलांजना, उप निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-12/न्याय अनुभाग-9(बजट)।
- 13- न्याय विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ)/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
- 14- गार्ड फाइल हेतु।

DR (10)  
This serial is only for  
information. May file it  
Pranti Lal  
21/08/18  
R.O.

आज्ञा से,

( राकेश कुमार )  
उप सचिव।

yes  
21/8/18  
S.O.

2/18-5.18 Request-118

IV-196-2215

226  
21.5.18  
Binoo  
25.5.18

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1(उच्च न्यायालय)

संख्या-अधि0-602/सात-न्याय-1-18-53(अ)/2014

लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2018

कार्यालय-आदेश

श्री अनिल कुमार ओझा, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 गोमती नगर, लखनऊ न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन में विशेष सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी के पद पर दिनांक 06-06-2014 से दिनांक 05-09-2016 तक कार्यरत रहे हैं। उक्त अवधि में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अनिल कुमार ओझा, तत्कालीन विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग के विरुद्ध शासन में किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं है। तदनुसार श्री अनिल कुमार ओझा के पक्ष में अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

उमेश कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-अधि0-602(1)/सात-न्याय-1-18-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, निदेशालय, कोषागार, उ0प्र0, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवार भवन, लखनऊ।
- 5- श्री अनिल कुमार ओझा, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार राय)  
अनु सचिव।

08 MAY 2018

Reg(1)(B)

DRUM

Reg(1)(B)  
7/07/05/10

Ly:  
RG  
09/05/18

1276

D.R.C R.R.) Admn

S.O. Admn, H/A

R.R.  
16/5/18

Smt. Anshu

IA  
26.5.18

(8)  
P-502  
(100)

DRUM

Reg(1)(B)  
7/07/05/10

Ly:  
RG  
09/05/18

9853

DR(M)

This serial is only for  
information. May file?

Officer

26.05.2018

R.O

Marshad

26.5.18

yes

Rdg

28/5/2018

D.R.



Serial  
13-4-17  
10-0-Encl

Page 118  
Rec

File No

Serial

15-4-17

21) 21-4-17

5337

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय  
उत्तर प्रदेश

२०, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद-२११००१

13/9/11

20/4/11

पंजीकृत

पत्रांक जी०ई० I / गृप II / LID 45013 दिनांक 30/03/17

सेवा में,

DR(M)

This serial is addressed to the concerned officer and endorsed to this Court for information only. May file?

03.10.2017

Yes  
R.D.  
14/10/2017

R.O.  
03.10.17  
R.D.

विषय : श्री ..... को स्वीकृत ..... अग्रिम  
रु० 60000/- की मूलधन की अदायगी/अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या/पृष्ठांकन पत्र संख्या 1274 / I - 57 / 2016

दिनांक 11-3-2017 के संदर्भ में सूचित करना है कि :-

(1) इस कार्यालय के अभिलेखानुसार मूलधन के विरुद्ध रु० 60000/- की प्रविष्टि पूर्ण हो चुकी है। इस प्रविष्टि में किस्त संख्या 1 से 3-1-14

की अदायगी की धनराशि शामिल है

(2) मूलधन के विरुद्ध अभी रु० ..... की प्रविष्टि शेष है जिसके अन्तर्गत किस्त संख्या ..... की अदायगी की धनराशि शामिल है।

अतएव अदायगियों का सम्बन्धित कोषाधिकारी/इरला/पी०ए०ओ० द्वारा सत्यापित विवरण उपलब्ध करायें।

(3) ब्याज की गणना हेतु शासनादेश संख्या 2834/दो-6-2004-19(11)/83 नियुक्ति अनुभाग 6 दिनांक 13-9-2004 में निर्देशित किया गया है कि शासनादेश में अंकित ब्याज दर के अनुसार अपने अधीनस्थ लेखाकार से अनन्तिम रूप से ब्याज का आगणन कराकर तदनुसार ब्याज की अदायगी की जाये एवं ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी के पश्चात गणना सीट एवं जमा का सत्यापित विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

D.R. (RR) Admin

So Admin A.I

So Admin  
13.4.17  
DR

DR  
14/4/2017  
DR

Mrs. Anshu  
14.9.17

(4) इस कार्यालय द्वारा गणना करने पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट के साथ/बिना छूट के साथ रू०.....

250 30988/- आगणित हुई है, जिसमें से रू० 23835

का विवरण प्राप्त हो चुका है। अभी ब्याज के मद में रूपये 7153/-

की अदायगी शेष है। जिसे एक मुश्त अथवा किस्तों में लेखा शीर्षक "0049" ब्याज प्राप्तियों/भवन निर्माण/मरम्मत/मोटर वाहन / स्कूटर / कम्प्यूटर पर देय ब्याज के मद में जमा कराये। परन्तु ब्याज अदायगी की किस्त प्रतिमाह रू०.....से कम न हो।

(5) श्री .....को यदि कोई अन्य अग्रिम स्वीकृत किये गये हों तो उन अग्रिमों की सूची उपलब्ध कराये जिससे उसे चिन्हित करके वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया जा सके।

(6) .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी  
जी०ई० अनुभाग

पंजीकृत

पृष्ठांकन पत्र संख्या - जी०ई०/III/गुप./.....II...../LID..... 45012/446 दिनांक 30/03/17

श्री 2021 बृगाक माधवपुत्र  
उप नि. 17/19  
उप नि. 17/19  
उप नि. 17/19 - 211001  
उप नि. 17/19

वरिष्ठ लेखाधिकारी  
जी०ई० अनुभाग